न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 25/2024

उनवान

दुर्गाशंकर आत्मज श्री लटूरनाथ जी जाति नाथ निवासी मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा

—अपीलान्ट

बनाम

रूपचंद पुत्र रामनारायण जाति मेहर निवासी मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री लोकेश नन्दवाना (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री ओमप्रकाश प्रजापत (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0टी0 एक्ट 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.06.2024 न्यायालय तहसीलदार दीगोद जिला कोटा कार्यवाही 183 बी0 राज0 का0 अधि0 प्रकरण 1/2024 बउनवान रूपचन्द्र बनाम दुर्गाशंकर

निर्णय दिनांक :05.09.2024

अपीलाण्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक यह अपील राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसील दीगोद मे रूपचंद पुत्र रामनारायण जाति मेहर निवासी मोरपा ने अन्तर्गत धारा 183 बी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अधिनस्थ न्यायालय तहसील दीगोद द्वारा निर्णय दिनांक 24.06.2024 से स्वीकार करते हुए अप्रार्थी दुर्गाशंकर आत्मज श्री लटूरनाथ निवासी मोरपा रेस्पोडेन्ट को बेदखली के आदेश दिये गये।

उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 18.07.2024 को पेश की गई। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट, की ओर से श्री ओमप्रकाश प्रजापत एडवोकेट उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का बहस अपील में कथन है यह कि ग्राम मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा में अन्य भूमि के साथ ख0न0 540 रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता 1 रकबा 0.05 है0 भूमि स्थित चली आ रही है, तथा उपरोक्त भूमि वर्तमान में रेस्पो0/प्रार्थी के खाते में दर्ज चली आ रही है तथा उक्त भूमि ख0न0 540 रकबा 0.05 है0 का रिकार्डेड खातेदार है। तथा उल्लेखित किया प्रार्थी

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

रेस्पो0 अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा अप्रार्थी / प्रतिवादीगण को पैसा वाला सामान्य वर्ग का झगडालू प्रवृत्ति का उल्लेखित कर रेस्पो0 के खातेदारी की आराजी न0 540 रकबा 0.05 है0 भूमि वाके ग्राम मोरपा के आधे 1/2 हिस्से पर करीबन 0.03 हे0 हिस्से पर जबरदस्ती अवैधानिक रूप से कब्जा करना बताया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.06.2024 को रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 183 राज0 काश्तकारी अधि0 को स्वीकार कर अपीलाण्ट अप्रार्थी को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया। अपीलान्ट गम्भीर टी0बी रोग से पीडित है तथा प्रार्थी ईलाज चल रहा है। इस दौरान प्रार्थी ईलाज हेतु अस्पताल में भी भर्ती रहा तथा अपने अधि0न्यायालय के अधिवक्ता से भी सम्पर्क नहीं कर सका। वादग्रस्त जमीन एक भूखण्ड में तबदील हो गई है तथा वादग्रस्त भूमि सहित आस –पास की भूमि आबादी क्षेत्र में आ गई है ,ऐसी स्थिति में रेस्पो0/प्रार्थी का यह कहना कि रेस्पो0 प्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है सरासर गलत है। अपीलाण्ट का जिस जगह मकान बना हुआ है उस जगह पर अपीलाण्ट अपने पूर्वजो के समय से काबिज है, तथा कच्चा घर बनाकर निवासी कर रहा है। जिसके परिवार को उपरोक्त जगह पर निवास करते हुए 70 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, तथा उपरोक्त स्थान पर जहां अपीलाण्ट का मकान बना हुआ है, वहा पर विघुत विभाग द्वारा विघुत कनेक्शन जारी किया गया है। तथा उपरोक्त स्थान पर वर्ष 1980 से ही अपीलान्ट के पिता एवं दादा के समय से ही विधुत का उपभोग करता चला आ रहा है। उपरोक्त स्थान आबादी क्षेत्र घोषित हो चुका है तथा 1965 में ही ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट के दादा जी को रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराया गया था, इस सम्बन्ध में लिखित में प्रमाण पत्र भी दिया गया था। उपरोक्त तथ्य पटवारी मण्डल मोरपा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर भी आया है, उसके बावजूद सम्मानीय अधि0 न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया। उपरोक्त प्र0स01/2024/183 बी मे उल्लेखित भूमि आबदी क्षेत्र में आ जाने तथा उपरोक्त भूमि पर मकान/ रिहायशी बने होने के कारण रेवेन्यू कोर्ट का प्रा0पत्र की सुनवाई का कोई क्षेत्राधिकार नही रहता। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सव्यय खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट का बहस में कथन है कि ग्राम मोरपा के ख0न0 540 रकबा 0.05 हे0 भूमि में प्रार्थी रेकार्डेड खातेदार है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 80 संलग्न है। प्रार्थी गरीब अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, अप्रार्थीगण सामान्य वर्ग के व्यक्ति है, अप्रार्थी द्वारा लडाई झगडे व ताकत के बल पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर कब्जा कर रखा। अपार्थी को जवाब पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर दिये गये। किन्तु अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। यदि विवादित आराजी आबादी में आ गई थी तो 90 बी की कार्यवाही करवाते है। तथा अप्रार्थी को प्रार्थी के खाते की आराजी या उसके किसी भाग पर किसी भी प्रकार से कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। तथा कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज जावे।

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। हम पाते है कि ग्राम मोरपा तहसील दीगोद ख0न0व 540 रकबा 0.05 हैक्टर भूमि में जमाबन्दी सम्वत 2077–80 में रूपचन्द्र पुत्र रामनारायण जाति मेहर निवासी मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा के नाम दर्ज है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट खातेदार है। रेस्पोडेन्ट प्रार्थी की जाति मेहर है जो अनुसूचित जाति वर्ग की श्रेणी में आती है। तहसीलदार दीगोद द्वारा जिसे बेदखली के आदेश दिये है जिसे हम उचित मानते है। रेस्पोडेन्ट धारा 183 बी के अन्तर्गत कब्जा प्राप्त करने का हकदार है। तहसीलदार दीगोद द्वारा अन्तर्गत धारा 183 बी के तहत की गई बेदखली की कार्यवाही आदेश दिनांक 24.06.2024 में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अपील अस्वीकार योग्य पाते है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने के ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 5.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटा

05/09/2024

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा

अति॰ जिला कलेक्टर
कोटा